

***Press Release***

**SIDBI organises Conclave of Small Finance Banks**

With RBI deciding to grant *“in-principle”* approval to 10 applicants for setting up Small Finance Banks, out of which 8 are Micro Finance Institution (MFIs), a new paradigm has emerged in the financial inclusion space. Earlier, RBI has granted *“in-principle”* approval to 11 applicants for setting up of Payment Banks. In April 2014, RBI had also granted *“in-principle”* approval to 2 entities, viz., Bandhan Financial Services private Limited (BFSPL), an MFI, and IDFC Limited for setting up full fledged universal banks, which have since become operational. The granting of *“in-principle”* Small Finance Bank (SFB) license to MFIs is a step towards creating a new generation of specialised entities which will effectively cater to the financial needs of the MSMEs especially the informal sector*.*

Out of the 10 selected applicants, one is an NBFC, one Local Area Bank and the rest 8 are Micro Finance Institutions (MFIs). Nine out of the 10 applicants are existing Partner Financial Institutions (PFIs) of SIDBI supported at various stages of their organisational journey under the micro credit dispensation of SIDBI.

SIDBI, the Principle Financial institution for promotion, finance and development of the MSME sector, launched its Microfinance Support programme way back in 1994. Learning from the pilot phase, in 1999, it set up a specialised department viz SIDBI Foundation for Micro Credit (SFMC) with a mission to create a national network of strong, viable and sustainable institutions for providing microfinance services to the unreached. SFMC, SIDBI has undertaken various initiatives over the years such as capacity building of the MFIs, support for transformation of NGO-MFIs into corporate entities, introduction of the concept of Capacity Assessment Rating (CAR) of MFIs to provide comfort to the lenders, enforcement of various responsible lending practices through COCA (a tool for assessment of adherence to the Model Code of Conduct), India Micro-finance Finance Platform (IMFP) on the web, Lenders’ Forum, etc. Besides, helping in the robust and orderly growth of the sector, over the years these measures have also brought about a fundamental change in the micro finance sector, in the country, with large number of banks coming forward to lend to MFIs, a number of transformed entities as NBFC-MFIs providing micro credit, professional boards being put in place, robust industry representative bodies, pool of technical service providers besides a more sensitized pool of stakeholders. A large number of domestic as well as foreign (institutional and individual) investors are also now active in meeting the growing equity needs of the sector.

Creation of Bandhan Bank Limited was a watershed moment in the SIDBIs micro finance endeavours. Now, approval for setting-up of *SFBs* is another *fulfilling milestone* for SIDBI as a market maker in the micro finance space.

In the above backdrop, SIDBI organised a Conclave of Small Finance Banks at New Delhi on December 03, 2015 in presence of Dr. Kshatrapati Shivaji, IAS, CMD, SIDBI and Dr. Nachiket Mor, Member, Central Board, Reserve Bank of India. The objective of the workshop was to draw a plan for continued collaboration / partnership with SFBs in their endeavor to achieve the milestones defined by RBI for transition into SFB. Shri Chandra Sekhar Ghosh, CMD, Bandhan Bank shared his experience of successful transition of an MFI into a Bank. The other sectoral experts present included Shri R.M. Malla, Ex CMD, IDBI Bank and SIDBI, Shri N.K. Maini, Ex-DMD, SIDBI and Shri Brij Mohan, Ex ED, SIDBI. Representatives of International partner agencies of SIDBI viz World Bank, DFID, UK and Kfw, Germany also participated.

All the 10 SFB entities actively participated in the deliberations and shared the challenges and the expectations from SIDBI in the transition process. It was highlighted that due to continuous market making, financial and non-financial support extended by SIDBI, these entities attained the critical size leading to their graduation to SFBs. Dr. Shivaji assured that SIDBI will leave no stone unturned for continuously supporting and handholding these entities for their smooth transformation into SFBs and thereafter to fulfil financial inclusion agenda.

SIDBI with its flexibility of introducing need based products suitable for the MSME sector intends to provide financial and technical support to SFBs to strengthen their capital/ funding base, lending operations and efficient empowerment of MSEs under regulatory framework and institutionalizing social commitment of doing good and doing well.

In the emerging economic scenario in India, MSMEs are assuming increasingly greater significance. Government of India has taken several initiatives to give a leg up to economy of which MSMEs contribute a significant share. SIDBI has been working in tandem with GoI by coming out with specific initiatives to help MSMEs take the full benefits of GOI programmes. These include **India Apiration Fund** to support innovation led startups through venture finds, **SMILE** programme to help MSMEs participate in Make in India, extending **End to End Energy Efficiency and Sustainable Finance**, in line with Zero Defect Zero Effect mission, creation of **MUDRA** to expand help small businesses at grass root level. Creation of Small Finance Banks is also a step in the same direction. SIDBI expects to effectively leverage its partnership with SFBs to take its support to the MSMEs to the next level.

After the day-long deliberations, consensus emerged that SIDBI should continue to play the anchor role and provide a collaborative and coordinating platform for all the SFBs, which will help them achieve the different milestones, thereby making the economy more healthy, robust and effective.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



**प्रेस विज्ञप्ति**

**सिडबी ने लघु वित्त बैंकों का सम्मेलन आयोजित किया**

 8 अल्प वित्त संस्थाओं सहित 10 आवेदकों को लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का “*सैद्धांतिक”* अनुमोदन मिलने के साथ ही, वित्तीय समावेशन के परिवेश में एक नया प्रतिमान उभरा है। इसके पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 आवेदकों को भुगतान बैंक स्थापित करने का “*सैद्धांतिक”* अनुमोदन प्रदान किया है। अप्रैल, 2014 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 संस्थाओं, अर्थात् बंधन फाइनेन्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, जो एक अल्प वित्त संस्था है, तथा आईडीएफ़सी लिमिटेड को पूर्ण सार्वभौमिक बैंक स्थापित करने का भी “*सैद्धांतिक”* अनुमोदन प्रदान किया था, जो अब परिचालनरत हो गए हैं। अल्प वित्त संस्थाओं को लघु वित्त बैंक के रूप में “*सैद्धांतिक”* अनुमोदन प्रदान किया जाना ऐसी विशेषीकृत संस्थाओं की नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में एक क़दम है, जो विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र एमएसएमई की वित्तीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करेंगी।

 चुने गए 10 आवेदकों में से, एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफ़सी) है, एक स्थानीय क्षेत्र का बैंक है तथा शेष 8 अल्प वित्त संस्थाएँ हैं। 10 में से 9 आवेदक ऐसे हैं, जो सिडबी की मौजूदा भागीदार वित्तीय संस्थाएँ हैं और सिडबी ने उन्हें उनकी संगठनात्मक यात्रा के विभिन्न चरणों में अपनी अल्प ऋण प्रदायगी व्यवस्था के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई है।

 सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन, विकास एवं वित्तपोषण के लिए प्रधान वित्तीय संस्था है। इसने अपना अल्प वित्त कार्यक्रम 1994 में शुरू किया था। प्रायोगिक चरण के अनुभवों से सीखते हुए, 1999 में इसने एक विशिष्ट विभाग अर्थात् सिडबी अल्प ऋण कोष स्थापित किया, जिसका मिशन अनछुए क्षेत्रों /व्यक्तियों को अल्पवित्त सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुदृढ़, सक्षम और दीर्घकालिक संस्थाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना था। विगत वर्षों के दौरान सिडबी अल्प ऋण कोष, सिडबी ने विभिन्न गतिविधियाँ चलाई हैं, जैसे - अल्प वित्त संस्थाओं को क्षमता निर्माण सहयोग, गैर सरकारी संगठन – अल्प वित्त संस्था के रूप में कार्यरत संस्थाओं को कॉर्पोरेट संस्था में रूपांतरित होने के लिए सहयोग, अल्प वित्त संस्थाओं के क्षमता मूल्यांकन श्रेणीनिर्धारण (रेटिंग) की संकल्पना की शुरूआत, ताकि ऋणदाताओं को अधिक सुगमता हो सके, सीओसीए (मॉडल आचरण संहिता के पालन का मूल्यांकन करने का एक साधन) के माध्यम से विभिन्न जिम्मेदार उधार परंपराओं का प्रवर्तन, वेब पर भारत अल्प वित्त वित्तीयन मंच, ऋणदाता मंच, आदि। इस क्षेत्र के सुदृढ़ और व्यवस्थित विकास में मदद देने के अलावा, पिछले वर्षों में इन उपायों से देश में अल्प वित्त क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं, जैसे - बड़ी संख्या में बैंक अल्प वित्त संस्थाओं को उधार देने के लिए आगे आए हैं, एनबीएफ़सी-एमएफ़आई के रूप में परिवर्तित हुई अनेक संस्थाएँ अल्प ऋण उपलब्ध करा रही हैं, पेशेवर निदेशक मंडलों की स्थापना हुई है, तथा अधिक संवेदनशील जोखिमधारकों के साथ-साथ उद्योग संबंधी सुदृढ़ निकाय, तकनीकी सेवाप्रदाताओं के पूल तैयार हुए हैं। बड़ी संख्या में घरेलू एवं विदेशी (संस्थागत एवं व्यक्ति) निवेशक भी अब इस क्षेत्र की बढ़ती ईक्विटी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्रिय योगदान कर रहे हैं।

 बंधन बैंक लिमिटेड की स्थापना सिडबी के अल्प वित्त प्रयासों का एक ऐतिहासिक क्षण था। अब, लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए अनुमोदन मिलना अल्प वित्त क्षेत्र में बाज़ार निर्माता के रूप में कार्यरत सिडबी के लिए एक और मील का पत्थर है।

 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, सिडबी ने डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, भा.प्र.से., अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी तथा डॉ. नचिकेत मोर, सदस्य, केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक की उपस्थिति में 03 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में लघु वित्त बैंकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य लघु वित्त बैंकों के प्रयासों में उनके साथ सतत सहयोग /भागीदारी के लिए योजना तैयार करना था, ताकि वे लघु वित्त बैंक के रूप में रूपांतरित होने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित लक्ष्य हासिल कर सकें। श्री चंद्र शेखर घोष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बंधन बैंक ने एक अल्प वित्त संस्था से बैंक में सफलतापूर्वक रूपांतरित होने के अपने अनुभवों का वर्णन किया। इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के अन्य प्रख्यात विशेषज्ञों में आईडीबीआई बैंक एवं सिडबी के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.एम. मल्ला, सिडबी के भूतपूर्व उप प्रबंध निदेशक श्री एन.के. मैनी और सिडबी के भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री ब्रज मोहन शामिल थे। सिडबी की अंतरराष्ट्रीय भागीदार एजेन्सियों, जैसे – विश्व बैंक, डीएफ़आईडी, यूके तथा केएफ़डब्ल्यू, जर्मनी के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की।

 सभी 10 लघु वित्त बैंकों ने विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया और रूपांतरण की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों एवं सिडबी से होने वाली अपेक्षाओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। विशेष रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि बाज़ार निर्माण की सतत प्रक्रिया तथा सिडबी की ओर से प्रदत्त वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहयोग के कारण, ये संस्थाएँ उस पर्याप्त आकार तक पहुँच सकीं, जिसके फलस्वरूप आज वे लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित हो रही हैं। डॉ. शिवाजी ने यह आश्वासन दिया कि सिडबी इन संस्थाओं को सुगमतापूर्वक लघु वित्त बैंकों में रूपांतरित होने और तत्पश्चात् वित्तीय समावेशन का कार्य पूरा करने के लिए निरंतर सहयोग और सहायता उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेगा।

 एमएसएमई क्षेत्र के लिए समुचित आवश्यकता-आधारित उत्पाद उपलब्ध कराने के अपने लचीलेपन के साथ, सिडबी लघु वित्त बैंकों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना चाहता है, ताकि वे विनियामक ढाँचे के अंतर्गत पूँजी /निधीयन आधार, उधार परिचालनों एवं एमएसई के दक्षतापूर्ण सशक्तीकरण को सुदृढ़ कर सकें तथा अच्छे कार्य करने और भली-भाँति परिचालन करने की अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को संस्थागत स्वरूप प्रदान कर सकें।

 भारत में उभरते आर्थिक परिदृश्य में, एमएसएमई का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए अनेक पहल की हैं, जिसमें एमएसएमई का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सिडबी एमएसएमई की मदद के लिए विशिष्ट गतिविधियाँ चलाते हुए, भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, ताकि भारत सरकार के कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाया जा सके। इनमें उद्यम निधियों के माध्यम से नवोन्मेष आधारित नवारंभ इकाइयों को सहायता देने के लिए **भारत नवाकांक्षा निधि**, एमएसएमई की मदद के लिए **स्माइल** कार्यक्रम, ताकि वे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर सकें, ज़ीरो डिफ़ेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट मिशन के अनुरूप **आद्यांत ऊर्जा दक्षता एवं दीर्घकालिक वित्त** की उपलब्धता तथा सर्वाधिक निचले स्तर पर लघु व्यवसायों को मदद उपलब्ध कराने के लिए **मुद्रा** की स्थापना शामिल हैं। लघु वित्त बैंकों का सृजन भी इसी दिशा में एक क़दम है। सिडबी लघु वित्त बैंकों के साथ प्रभावी भागीदारी करते हुए, एमएसएमई को दिए जाने वाले अपने सहयोग को अधिक ऊँचे सोपान पर ले जाने की आशा करता है।

 पूरे दिन के विचार-विमर्श के बाद, इस बात पर सहमति बनी कि सिडबी आगे भी निरंतर मददगार की अपनी प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा और सभी लघु वित्त बैंकों के लिए सहयोगकारी और समन्वयक मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें विभिन्न उपलब्धियाँ हासिल करने में मदद मिलेगी और फलस्वरूप अर्थव्यवस्था अधिक स्वस्थ, सुदृढ़ एवं प्रभावकारी बन सकेगी।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*